न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

बी.पी. 1278/2026

अवतार नगर थाना कांड संख्या–140/2026

अंतर्गत धारा 304(2), 3(5) बी.एन.एस.

राहुल प्रसाद एवं अन्य.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता–श्री विजयेन्द्र कुमार सिंह

विपक्षी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री ध्रुवदेव सिंह

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

24.07.2026 काराधीन अभियुक्तगण राहुल प्रसाद एवं ननकी कुमार उर्फ ननकी तिवारी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप है कि दिनांक 23.04.2026 को पेट्रोल पम्प पर सी.एन.जी. लेने के क्रम में दो अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के गर्दन से चैन एवं मंगलसूत्र लेकर भाग गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक संख्या–1 का आठ तथा आवेदक संख्या–2 का चार मामले का आपराधिक इतिहास है। आवेदकगण प्राथमिकी में नामित नहीं है। उसके पास से कुछ बरामद नहीं है। कोई टी.आई.पी. नहीं कराया गया है। आवेदकगण दिनांक 16.06.2026 से कारा अभिरक्षा में है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्तगण पर चैन एवं मंगलसूत्र छीनने का आरोप है। मामला जमानत योग्य नहीं है।

कांड दैनिकी का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के संस्वीकृति के आधार पर आरोप किया गया है। कोई टी.आई.पी. नहीं हुआ है। अभियुक्तगण दिनांक 09.06.2026 से कारा अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामला जमानत योग्य पाया जाता है। उपरोक्त आवेदक अभियुक्तगण को आरोप गठन तक सदेह उपस्थित रहने के शर्त पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर को प्रत्येक को 10,000 (दस हजार) रुपये एवं समान राशि के दो प्रतिभु द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर द0प्र0स0 की धारा 437(3) एवं 441(ए) के शर्तो के अधीन जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ANURAG KUMAR TRIPATHI

Digitally signed by ANURAG KUMAR TRIPATHI
Date: 2026.07.24 15:17:27 +0000

(अनुराग कुमार त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।